

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक:-वि०प्रा०(1)व³-121/92/

पटना, दिनांक:-

संकल्प

श्री महेश्वर सिंह, सेवा निवृत्त, सह प्राध्यापक, राजकीय पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर को राजकीय पोलिटेकनिक, आदित्यपुर में पोलिटेकनिक के खण्ड-111 डिप्लोमा (असैनिक) परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मुल्यांकन के दौरान भ्रष्ट आचरण एवं कदाचार के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 ए० एवं बी० में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. श्री सिंह के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री सिंह को आरोप से मुक्त किया जाता है।

3. श्री सिंह के निलंबन अवधि के लिए देय वेतन भुगतान पर अलग से विचार किया जाएगा।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सभी सम्बन्धित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

६०१-

उप सचिव

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार पटना।

ज्ञापक-वि०प्रा०(1)व³-121/92/

2007

पटना, दिनांक:-

4-8-2016

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर/विभाग के सभी पदाधिकारी/श्री महेश्वर सिंह तत्कालीन सह प्राध्यापक (असैनिक) सेवा निवृत्त, मो०-बहादुरपुर दीपा भवन, न्यू कुंज कॉलोनी, पोस्ट-बहादुरपुर, पटना-16/आई.टी. मैनेजर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार पटना।

03/8/16